फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

नानगा बनाम बोदूराम वगै0

ख्या : दावा 161/2011

दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
3/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अनुपस्थित। पूर्व में आदेशित किया गया था कि तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उभयपक्ष द्वारा बहस नहीं करने पर उचित कार्यवाही की जावेगी। उभयपक्ष अनुपस्थित होने पर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./संस्था/2022/4659 दिनांक 18.08.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.2011 की पालना में वाद के समस्त पक्षकारान को विधिवत् रूप से नोटिस द्वारा सूचित किया गया। मौके का निरीक्षण किया गया तथा उसके उपरान्त जानकारी प्राप्त हुई कि हाल खसरा नंबर 612 रकबा 1.12 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.12 है0 सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है। खातेदारान के पास मौके पर कोई कृषि भूमि नहीं है। अतः इस स्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट बनाना संभव नहीं है। हमने तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट का बगौर अवलोकन किया। तहसीलदार आमेर ने अपनी फर्द रिपोर्ट में अंकित किया है कि खातेदारान के पास मौके पर कोई कृषि भूमि नहीं है तथा आवासीय कॉलोनी मौके पर विकसित हो चुकी है। तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर कृषि भूमि आवासीय योजना में परिवर्तित हो चुकी है तथा पक्षकारान की मौके पर कोई कृषि भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खारिज होने योग्य [illegible] अतः वादी का वाद तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:33:01 IST
Reason: SelfAttested